

**कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद फर्रुखाबाद।**

संख्या- 649 /अधि0/स0सु0/2020

फर्रुखाबाद: दिनांक: 22 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्रुखाबाद जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरादाबाद चन्दौसी बदायूँ फर्रुखाबाद मार्ग (एस0एच0-43)	फतेहगढ़ चौराहा से केन्ट होते हुये पांचाल घाट स्व० श्री ब्रम्हदत्त द्विवेदी मूर्ति तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
2	फतेहगढ़ गुरसहायगंज मार्ग (एस0एच0-29ए)	फतेहगढ़ चौराहा से कमालगंज होते हुये हॉटमिक्स प्लान्ट तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
3	मुरादाबाद-चन्दौसी- बदायूँ-फर्रुखाबाद मार्ग (एस0एच0-43)	जमापुर मोड़ से गूजरपुर जनपद फर्रुखाबाद सीमा तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. व्हीलर/ श्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
4	फर्रुखाबाद छिबरामऊ मार्ग	बी०ई० रोड बघार पुल से जहानगंज होते हुये काली नदी पुल के आगे तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
5	मोहम्मदाबाद शमसाबाद मार्ग	बी०ई० रोड रोहिला चौराहा से किमी० 8 तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
6	फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मार्ग	फतेहगढ़ चौराहा से फर्रुखाबाद बस अड्डा तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
7	फतेहगढ़ रेलवे पोषक मार्ग	भोलेपुर हनुमान मन्दिर से फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
8	फतेहगढ़ रेलवे माल गोदाम मार्ग	कृष्णा गेस्ट हाउस से फतेहगढ़ रेलवे माल गोदाम तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
9	कमालगंज रेलवे पोषक मार्ग	कमालगंज तिराहे से कमालगंज स्टेशन तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
10	घटियाघाट फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन मार्ग	पांचाल घाट से लाल दरवाजा होते हुये फर्रुखाबाद स्टेशन तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
11	भोलेपुर लिंक मार्ग	भोलेपुर क्रासिंग से मांझी होटल तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
12	सेन्ट्रल जेल से जिला जेल मार्ग	सेन्ट्रल जेल चौराहे से जिला जेल क्रासिंग तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
13	मोहम्मदाबाद संकिसा मार्ग	मोहम्मदाबाद चौराहे से संकिसा निरीक्षण भवन तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
14	मोहम्मदाबाद संकिसा से पखना धीरपुर नबीगंज मार्ग।	मोहम्मदाबाद संकिसा मार्ग के किमी० 12 से पखना धीरपुर होते हुये नबीगंज तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
15	मोहम्मदाबाद शमसाबाद से पुठरी मार्ग	मोहम्मदाबाद शमसाबाद मार्ग के किमी० 10 से पुठरी मन्दिर तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
16	राजेपुर कड़हर मार्ग	बी०ई० रोड (निविया चौराहा) से सलेमपुर होत हुये कहहर तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
17	शेरपुर सराय से रजीपुर उधरनपुर मार्ग	ग्राम शेरपुर सराय से रजीपुर होते हुये फर्रुखाबाद छिबरामऊ मार्ग के किमी० 18 तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
18	मोहम्मदाबाद ताजपुर छिबरामऊ मार्ग।	रोहिला चौराहे से ताजपुर होते हुये बहोरिकपुर तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

19	पखना रेलवे पोषक मार्ग।	पखना धीरपुर मार्ग से पखना स्टेशन तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
20	कायमगंज सराय अगहत मार्ग।	संकिसा तिराहे से साहबगंज तक।	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
21	कायमगंज-अलीगंज मार्ग।	ट्रान्सपोर्ट चौराहा कायमगंज से बिराहिमपुर तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
22	फर्रुखाबाद-कायमगंज-कम्पिल मार्ग। (एम०डी०आर०-110)	गुडगांव देवी मंदिर फर्रुखाबाद से कम्पिल तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
23	मोहम्मदाबाद-शमसाबाद मार्ग। (एम०डी०आर०-21)	करनपुर बासमई से मंझना तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
24	हजियापुर रोशनाबाद मार्ग। (ओ०डी०आर०)	हजियापुर चौराहा से रोशनाबाद तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
25	कायमगंज-अचरा-सराय अगहत मार्ग (ओ०डी०आर०)	कायमगंज से साहबगंज सरायअगहत तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
26	कम्पिल बहबलपुर गौरखेडा मार्ग। (ओ०डी०आर०)	कम्पिल से गौरखेडा तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
27	शमसाबाद पोषक मार्ग। (ओ०डी०आर०)	फैजबाग से शमशाबाद तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
28	शमसाबाद रेलवे फीडर मार्ग। (ओ०डी०आर०)	हजियापुर चौराहा से मंझना तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
29	शमसाबाद ढाईघाट मार्ग (ओ०डी०आर०)	शमशाबाद से ढाईघाट जनपद शाहजहापुर सीमा तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
30	मऊदरवाजा-शमसाबाद वाया चिलसरा मार्ग। (ओ०डी०आर०)	मऊदरवाजा फर्रुखाबाद से शमशाबाद तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
31	फर्रुखाबाद-नबाबगंज मार्ग। (ओ०डी०आर०)	हथियापुर तिराहा से नबाबगंज तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
32	नबाबगंज-अचरा-अलीगंज मार्ग। (ओ०डी०आर०)	नबाबगंज से नौगांव तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
33	कम्पिल रुदायन मार्ग (ओ०डी०आर०)	कम्पिल से रुदायन तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
34	कायमगंज-रुटौल से पैथानखुर्द सम्पर्क मार्ग। (ओ०डी०आर०)	रुटौल से पैथानखुर्द तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

- (i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- (ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

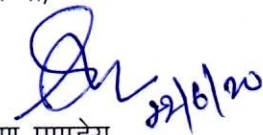
स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

- (iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम- 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,



(शान्ति भूषण पाण्डेय,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद।

पृ0सं0— /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित—

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
- 3— जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।
- 4— पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद।
- 5— निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 6— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, फर्रुखाबाद।



सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद।